



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 159।

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2013/चैत्र 12, 1935

No. 159।

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2013/CHAITRA 12, 1935

उपरोक्ता नाम से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) —

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2013

सं.कानि. 197(3).— कौन्दीय राजकार, भाडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की बारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (2), (3) और (4) धारा प्रदल ग्राहितये तथा प्रयोग करते हुए, भाडागार (विकास और विनियमन) भाडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संविधान नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संविधान भाडागार (विकास और विनियमन) भाडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. भाडागार (विकास और विनियमन) भाडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्क्षमित किया जाएगा, अर्थात्—

“(घक) “प्राथमिक सहकारी सोसाइटी” से किसी राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई प्राथमिक सूचि सहकारी सोसाइटी या कोई प्राथमिक सूचि विपणन सोसाइटी या कोई प्राथमिक सूचि प्रत्यय सोसाइटी या कोई कृषक सेवा सोसाइटी या कोई वृद्धि आकार वाली कृषि बहुउद्देश्य सहकारी सोसाइटी या पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त करने वाली सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करने वाली किसी राज्य विभिन्न के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सहकारी सोसाइटी अभिप्रत है;”।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में निम्नलिखित परंतुक अंतर्क्षमित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु किसी प्राथमिक सहकारी सोसाइटी की दशा में तीन वर्ष के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के लिए 7500 रुपए की न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण फीस का अधिक्याग किया जाएगा।”।

4. उक्त नियमों के नियम 6 में निम्नलिखित परंतुक अंतर्लापित किया जाएगा, अवश्यः—

"परंतु किसी प्राधिक सहकारी सोसाइटी की दशा में तीन वर्ष के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के लिए 7500 रुपए की न्यूनतम प्रतिशूलि निषेच का अविल्यग किया जाएगा"।

[का. सं. टीएफसी/16/2012],

प्रशासन. निवेदी, संयुक्त समिय

टिप्पण — मूल नियम जाका नि. सं. 892 (अ), तारीख 8 नवंबर, 2010 द्वारा फाइल सं. टीएफसी/11/2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2013.

G.S.R. 197(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 4 read with clause (a) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government, hereby makes the following rules, to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010 namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2; after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(da) "Primary Cooperative Society" means a Primary Agriculture Cooperative Society or a Primary Agriculture Marketing Society or a Primary Agriculture Credit Society or a Farmers Service Society or a Large Sized Agricultural Multi-purpose Cooperative Society registered under a Cooperative Societies Act of any State or any Cooperative Society registered under any State Law providing for registration of Mutually Aided Cooperative Society;".

3. In the said rules, in rule 5, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in the case of a Primary Cooperative Society, the minimum registration fee of Rs. 7500/- for initial registration of three years shall be waived off".

4. In the said rules, in rule 6, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in the case of a Primary Cooperative Society, the minimum Security Deposit of Rs. 7500/- for initial registration of three years shall be waived off".

[F. No. TFC/16/2012],

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published vide file no. TFC/11/2008 vide G.S.R.892 (E) on the 8th November, 2010.